पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.07.2024

दिनांक 05/06.07.2024 को थाना महानगर 01, पीजीआई 02, विभूतिखण्ड 01, अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में थाना बन्थरा 03, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 03 कअभियुक्त गिरफ्तार।

भादवि

थाना पारा- दिनांक 06.07.2024 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि वादी श्री जान सिंह पुत्र स्व0 श्री महावीर निवासी बजरंग विहार कालोनी मोहान रोड बुद्धेश्वर लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि दिनांक 16/06/24 को वादी के बड़े भाई सुरेन्द्र कुमार को वादी ने अपना HDFC डेबिट कार्ड दिया था जोकि वह लखनऊ चार बाग रेलवे स्टेशन से जम्मू जा रहे थे जो कि आर्मी में है। जब वह ATM से पैसे निकालने के लिये ATM मशीन गए तभी एक संदिग्ध व्यक्ति उसी ATM मशीन में पीछे से घुस गया, लेकिन उस ATM से पैसे नही निकले फिर वह वापस ट्रेन पकड़ने के लिये स्टेशन चले गए फिर वही व्यक्ति स्टेशन पर पीछे से आ पहुंचा। उसने बोला आप जम्मू जायेंगे तो भाई ने बोला हां तो उसने कहाँ कि मैं भी जाऊंगा मैं भी आर्मी में हूँ। तभी वह व्यक्ति स्टेशन पर गाड़ी आने तक साथ में था और साथ में बैठा रहा जब तक गाड़ी नही चली, जब गाड़ी स्टेशन से चलने लगी तभी वह वहां से उतरने लगा और बोला मेरा टिकट AC में है। उस समय ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी और वह उसी समय वहां से निकल गया। जो ATM भाई को दिया था उसमें से वादी के मोबाइल नम्बर पर दस दस हजार के दो ट्रांजक्शन ATM से निकाले गये उसी दौरान New Govind Jewellers दुकान से 70,000/- रुपये, 35,000/-रुपये और 60,000/-रुपये निकाले गये तथा उसके कुछ समय बाद khohli Brothers दुकान से 35,000/-रुपये और 25,000/-रुपये निकाले गए। इस प्रकार कुल रुपये 2,45,000/-रुपये वादी के ATM से निकाल लिए गये। जब तक कि वादी की समझ में कुछ आता कि इतने सारे SMS कहा से आ रहे है तभी वादी ने अपना बचा हुआ 85,000/-रुपये self Transfer कर लिया। उसके बाद जब वादी ने अपने बड़े भाई को कॉल की तो पता चला कि वह कार्ड उनके पास नही है। **इस सूचना पर थाना पारा पर मु0अ0सं0- 343/2024 धारा- 66 डी आई0 टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना पारा- दिनांक 06.07.2024 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि श्री प्रमोद पाल पुत्र बाबूलाल निवासी औरास थाना औरास जनपद उन्नाव 8009182228 ने थाना पारा पर सूचना दिया कि वह वर्तमान समय में मोहन सेवा हास्पिटल के पास उसकी दुकान के सामने एक अज्ञात व्यक्ति का शव पडा हुआ है। जिसकी सूचना दे रहा हूँ। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना पारा मो0- 6397054350 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक की पहचान के लिए आस- पास के लोगों पता किया तो मृतक की पहचान मृतक के गांव के रहने वाले मेंहेदी हसन के द्वारा राम रतन उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र श्री बाबू निवासी ग्राम मंझिगवां थाना बघौली जनपद हरदोई के रुप में की। जिनके द्वारा बताया गया कि राम रतन उपरोक्त किराये पर रिक्शा लेकर चलाता था तथा फुटपाथ/ रोड़ के किनारे पर ही सो जाया करता था। मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं हैं। मृतक के परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है।

<u>थाना जानकीपुरम-</u> दिनांक 06.07.2024 को थाना जानकीपुरम द्वारा बताया गया कि आगतुका गुड्ड्री पत्नी पप्पू निवासी राधेश्याम राम पुरवा थाना जानकीपुरम लखनऊ ने थाना जानकीपुरम पर सूचना दिया कि दिनांक 06.07.2024 को जब वह सुबह काम करने गई थी तो उनके लड़के(सलीम उम्र करीब 12 वर्ष) द्वारा जानकारी दी गई कि उनके पति पप्पू ने आत्महत्या कर ली है। जब वह अपने घर जा कर देखा तो उनके पति झोपड़ी में बांस में गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगाये हुए मृत पाये गये। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री सिद्धार्थ जायसवाल थाना जानकीपुरम मो0- 6395350370 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक पप्पू उम्र करीब 50 वर्ष जोकि रिक्शा चालक था। मृतक शराब पीने का आदी था जिस कारण आये दिन पति पत्नी में विवाद होता रहता था। जिससे पत्नी गुड्डी अलग रहती थी और साफ- सफाई का कार्य करती है।

<u>थाना आशियाना</u>- दिनांक 06.07.2024 को थाना आशियाना द्वारा बताया गया कि वादी श्री जितेन्द्र सिंह निरीक्षक (से0नि0) पुत्र स्व0 श्री श्याम नारायण सिंह निवासी म0न0 1/65 सेक्टर P-1 मान सरोवर एल0डी0ए0 कालोनी बिजनौर रोड रमाबाई थाना आशियाना जनपद लखनऊ ने थाना आशियाना पर सूचना दिया कि वादी के जानकारी के बिना साईबर अपराधियों द्वारा करीब 4,77,829/- रूपये (चार लखनऊ सतहत्तर हजार आठ सौ उनतीस रूपये) कूटरचित दस्तावेज तैयार छल द्वारा गलत नियत से निकाल लिए गये है। जिसकी कोई सूचना या SMS बैंक द्वारा वादी को नही मिली है। विवरण निम्न प्रकार है। उक्त धनराशि दिनांक 01.04.24 को 98,000/-रुपये, दिनांक 01.04.24 को 47,000/-रुपये, दिनांक 02.05.24 को 65,000/-रुपये, दिनांक 03.05.24 को 75,000/-रुपये, दिनांक 03.06.24 को 60,000/-रुपये, दिनांक 30.06.24 को 88,000/-रुपये, दिनांक 06.06.24 को 32,829/-रुपये, दिनांक 30.06.24 को 12,000/-रुपये कुल करीब 4,77,829/-रुपये निकाल लिये गये हैं। दिनांक 04.07.24 को S.B.I जेल रोड शाखा से जब वादी ने अपना स्टेट मेन्ट निकलवाया और अपनी पास बुक प्रिन्ट करायी तो उक्त अपराध का पता चला। उपरोक्त धनराशि वादी की पेन्शन की है। इस अपराध मे कई लोगो की संलिप्तता प्रतीत होती है। बैक को सूचना वादी ने स्वयं दी है। **इस सूचना पर थाना आशियाना पर मु0अ0सं0- 236/2024 धारा- 66 डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**